वाणिज्य अ.ज.–705


# अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर

दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502


क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय.)/अधी.अ.(वा.)/अ.अ.–II/2017–18/प्रे 2974 दि: 21-11-17

## आदेश

**विषयः–ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के अनाधिकृत विद्युत कनेक्शनों को नियमित करने हेतु।**

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के अनाधिकृत विद्युत कनेक्शनों को नियमित करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश आदेश संख्या वाणिज्य अ.ज.–633 दिनांक 07.10.2016 द्वारा जारी किये गये थें। किन्तु यह पाया गया है कि अभी भी कुछ पेयजल योजनाओं/जल स्त्रोत पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत निगम के सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है।

इसी क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन करने पर स्थापित एलटी तंत्र से तकनीकी रूप से साध्य होने पर उपरोक्त अनाधिकृत विद्युत कनेक्शनों को नियमित किया जा सकता है। यह सुविधा उन्ही आवेदकों को देय होगी, जो आठ घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के अनुसार आवेदित भार मय 100 प्रतिशत लोड–फैक्टर मानते हुए गत 6 माह की आकलित विद्युत राशि एवं मांग पत्र की राशि जमा कराने को तैयार हैं। कनेक्शन के लिये मीटर (LPR) पोल पर लगाया जायेगा।

कनेक्शन जारी होने के पश्चात् नियमित बिल सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा जारी होना सुनिश्चित किया जायेगा एवं सम्बन्धित पंचायत द्वारा देय होगा। जिन पेयजल योजनाओं पर नियमानुसार नियमित कनेक्शन नहीं लिये जावेंगे, उनकी जांच के लिये सघन सतर्कता जांच अभियान चलाया जायेगा। सतर्कता जांच के दौरान विद्युत चोरी पाये जाने पर विद्युत अधिनियम – 2003 की धारा 135 के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

यह योजना दिनांक 31.01.2018 तक प्रभावी रहेगी।

आज्ञा से

21/11/17

(एस. एस. मीना)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर